



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14122022-241058
CG-DL-E-14122022-241058

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5588]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 13, 2022/ अग्राहायण 22, 1944

No. 5588]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 13, 2022/ AGRAHAYANA 22, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 दिसम्बर, 2022

का.आ. 5824(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि तेलंगाना राज्य के वारंगल अर्बन/हनुमाकोंडा जिले में सिद्दीपेट-एल्कातुर्थी सेक्शन पर NH-765DG के कि.मी. 116.063 से कि.मी. 133.619 (आरडीओ-हनुमाकोंडा) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर, हनुमाकोंडा को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

तेलंगाना राज्य के वारंगल अर्बन/हनुमाकोंडा जिले में सिद्दीपेट-एल्कातुर्थी सेक्शन पर NH-765DG के कि.मी. 116.063 से कि.मी. 133.619 तक (आरडीओ-हनुमाकोंडा) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: तेलंगाना			जिले का नाम: वारंगल अर्बन/ हनुमाकोंडा		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: भीमादेवरपल्ली					
गांव का नाम: भीमादेवरपल्ली					
1	120	सरकारी (पट्टा)	सूखा (गैर कृषि भूमि)	2,529.2850000 (वर्ग मीटर)	0.2529285
2	121	निजी (पट्टा)	सूखा (गैर कृषि भूमि)	101.1710000 (वर्ग मीटर)	0.0101171
3	123	निजी (पट्टा)	सूखा (गैर कृषि भूमि)	101.1710000 (वर्ग मीटर)	0.0101171
4	125	निजी (पट्टा)	सूखा (गैर कृषि भूमि)	227.6360000 (वर्ग मीटर)	0.0227636
5	172	निजी (पट्टा)	आर्द्र (कृषि भूमि)	505.8570000 (वर्ग मीटर)	0.0505857
6	174	निजी (पट्टा)	आर्द्र (कृषि भूमि)	809.3710000 (वर्ग मीटर)	0.0809371
7	177	निजी (पट्टा)	आर्द्र (गैर कृषि भूमि)	354.1000000 (वर्ग मीटर)	0.0354100
8	178	निजी (पट्टा)	आर्द्र (कृषि भूमि)	303.5140000 (वर्ग मीटर)	0.0303514
9	188/1	निजी (पट्टा)	सूखा (गैर कृषि भूमि)	1,365.8150000 (वर्ग मीटर)	0.1365815
10	192/1	निजी (पट्टा)	सूखा (कृषि भूमि)	101.1720000 (वर्ग मीटर)	0.0101172
गांव का नाम: गटलानरसिंगापुर					
1	93/2/2	निजी (पट्टा)	सूखा (कृषि भूमि)	596.9110000 (वर्ग मीटर)	0.0596911
गांव का नाम: मुलकानूर					
1	52	निजी (पट्टा)	सूखा (गैर कृषि भूमि)	1,315.2280000 (वर्ग मीटर)	0.1315228
2	56	निजी (पट्टा)	सूखा (गैर कृषि भूमि)	101.1710000 (वर्ग मीटर)	0.0101171
3	57	निजी (पट्टा)	सूखा (गैर कृषि भूमि)	455.2720000 (वर्ग मीटर)	0.0455272

4	587/2	निजी (पट्टा)	सूखा (कृषि भूमि)	50.5860000 (वर्ग मीटर)	0.0050586
5	588/1	निजी (पट्टा)	सूखा (कृषि भूमि)	404.6860000 (वर्ग मीटर)	0.0404686
6	596/2	निजी (पट्टा)	सूखा (गैर कृषि भूमि)	252.9290000 (वर्ग मीटर)	0.0252929
गांव का नाम: वांगरा					
1	605/2	निजी (पट्टा)	सूखा (गैर कृषि भूमि) हाउस साइट	1,306.8670000 (वर्ग मीटर)	0.1306867
2	666/1	निजी (पट्टा)	सूखा (कृषि भूमि)	1,112.8800000 (वर्ग मीटर)	0.1112880
तालुक का नाम: एल्कातुर्थी					
गांव का नाम: एल्कातुर्थी					
1	318	निजी (पट्टा)	आर्द्र (कृषि भूमि)	252.9250000 (वर्ग मीटर)	0.0252925
2	331	निजी (पट्टा)	आर्द्र (कृषि भूमि)	101.1710000 (वर्ग मीटर)	0.0101171
3	332	निजी (पट्टा)	आर्द्र (कृषि भूमि)	505.8500000 (वर्ग मीटर)	0.0505850
4	333	निजी (पट्टा)	आर्द्र (कृषि भूमि)	708.1990000 (वर्ग मीटर)	0.0708199
5	334	निजी (पट्टा)	आर्द्र (कृषि भूमि)	201.5520000 (वर्ग मीटर)	0.0201552
कुल				13,765.3190	1.3765

[फा. सं. Rc. No.G/2210/2018/3A]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 13th December, 2022

S.O. 5824(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation on Siddipet-Elkathurthy section of NH-765DG in the stretch of land from Km. 116.063 to Km. 133.619 (RDO-Hanumakonda) in the district of WARANGAL URBAN/HANUMAKONDA in the state of TELANGANA, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Revenue Divisional officer, Hanumakonda in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH-765DG in the stretch of land from Km. 116.063 to Km. 133.619 (RDO-Hanumakonda) on Siddipet-Elkathurthy section of in the district of WARANGAL URBAN/HANUMAKONDA in the state of TELANGANA.

State: TELANGANA		District: WARANGAL URBAN/ HANUMAKONDA			
Sl. No.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Bheemadevarpalli					
Village: Bheemadevarpalli					
1	120	Government (patta)	Dry(Non Agriculture land)	2,529.2850000 (Square Meter)	0.2529285
2	121	Private (patta)	Dry(Non Agriculture land)	101.1710000 (Square Meter)	0.0101171
3	123	Private (patta)	Dry(Non Agriculture land)	101.1710000 (Square Meter)	0.0101171
4	125	Private (patta)	Dry(Non Agriculture land)	227.6360000 (Square Meter)	0.0227636
5	172	Private (patta)	Wet(Agriculture land)	505.8570000 (Square Meter)	0.0505857
6	174	Private (patta)	Wet(Agriculture land)	809.3710000 (Square Meter)	0.0809371
7	177	Private (patta)	Wet(Non Agriculture land)	354.1000000 (Square Meter)	0.0354100
8	178	Private (patta)	Wet(Agriculture land)	303.5140000 (Square Meter)	0.0303514
9	188/1	Private (patta)	Dry(Non Agriculture land)	1,365.8150000 (Square Meter)	0.1365815
10	192/1	Private (patta)	Dry(Agriculture land)	101.1720000 (Square Meter)	0.0101172
Village: Gatlanarsingapur					
1	93/2/2	Private (patta)	Dry(Agriculture land)	596.9110000 (Square Meter)	0.0596911
Village: Mulkanoor					
1	52	Private (patta)	Dry(Non Agriculture land)	1,315.2280000 (Square Meter)	0.1315228
2	56	Private (patta)	Dry(Non Agriculture land)	101.1710000 (Square Meter)	0.0101171
3	57	Private (patta)	Dry(Non Agriculture land)	455.2720000 (Square Meter)	0.0455272
4	587/2	Private (patta)	Dry(Agriculture land)	50.5860000 (Square Meter)	0.0050586
5	588/1	Private (patta)	Dry(Agriculture land)	404.6860000 (Square Meter)	0.0404686
6	596/2	Private (patta)	Dry(Non Agriculture land)	252.9290000 (Square Meter)	0.0252929
Village: Vangara					
1	605/2	Private (patta)	Dry(Non Agriculture land) House site	1,306.8670000 (Square Meter)	0.1306867
2	666/1	Private (patta)	Dry(Agriculture land)	1,112.8800000 (Square Meter)	0.1112880
Taluk: Elkathurthi					
Village: Elkathurthi					
1	318	Private (patta)	Wet(Agriculture land)	252.9250000 (Square Meter)	0.0252925

2	331	Private (patta)	Wet(Agriculture land)	101.1710000 (Square Meter)	0.0101171
3	332	Private (patta)	Wet(Agriculture land)	505.8500000 (Square Meter)	0.0505850
4	333	Private (patta)	Wet(Agriculture land)	708.1990000 (Square Meter)	0.0708199
5	334	Private (patta)	Wet(Agriculture land)	201.5520000 (Square Meter)	0.0201552
Total				13,765.3190	1.3765

[F. No. Rc. No.G/2210/2018/3A]

RAJESH GUPTA, Director